



दिनांक: 06-09-2026

थाना नानौता मिशन शक्ति/एण्टीरोमियो टीम की शानदार कार्यवाही - मात्र 05 घण्टे में लावारिस बच्ची को सकुशल उसके परिजनो से मिलवाया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा तथा उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान एवं मिशन शक्ति फेज-5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत मिशन शक्ति/एंटी रोमियो टीमों द्वारा लगातार भ्रमण एवं गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष नानौता श्री विकास चारण के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता की मिशन शक्ति/एंटी रोमियो टीम द्वारा दिनांक 05.09.2026 की रात्रि को गश्त के दौरान संजय चौक के पास लगभग 10 वर्षीय बच्ची लावारिस अवस्था में घूमती हुई मिली।

पुलिस टीम द्वारा बच्ची से उसके परिजनों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई, परंतु बच्ची अपने परिजनों का पूर्ण नाम-पता बताने में असमर्थ थी। टीम द्वारा तत्काल संवेदनशीलता एवं तत्परता का परिचय देते हुए बच्ची को अपने संरक्षण में लेकर मिशन शक्ति केंद्र पहुंचाया गया तथा उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए परिजनों की तलाश प्रारंभ की गई। थाना नानौता मिशन शक्ति/एंटी रोमियो टीम द्वारा लगातार प्रयास एवं त्वरित कार्यवाही करते हुए बच्ची के संबंध में आवश्यक जानकारी एकत्रित की गई। अथक प्रयासों के फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ कि बच्ची सहारनपुर शहर से भटककर नानौता पहुंच गई थी। पुलिस टीम द्वारा मात्र 05 घंटे के अंदर बच्ची के परिजनों की पहचान एवं तस्दीक कर ली गई।

आवश्यक सत्यापन एवं नियमानुसार कार्यवाही के उपरांत बच्ची को सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बच्ची को सकुशल पाकर परिजनों के चेहरे पर खुशी लौट आई। परिजनों द्वारा नानौता पुलिस की त्वरित, संवेदनशील एवं मानवीय कार्यवाही के लिए आभार व्यक्त किया गया।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

- **थानाध्यक्ष-** श्री विकास चारण, थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।
- **वरिष्ठ उप निरीक्षक-** श्री जितेन्द्र सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।
- **महिला उप-निरीक्षक-** राधा चौहान थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।
- **म0का0 –** रि0म0का0 1833 शिवानी थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।

सहारनपुर पुलिस का संदेश

महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं संरक्षण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सहारनपुर पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर एवं प्रतिबद्ध है।



दिनांक: 06-09-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

मिशन शक्ति फेज-5.0 द्वितीय चरण के तहत बड़गांव पुलिस की सराहनीय पहल — बहू-बेटी सम्मेलन के अंतर्गत काउंसलिंग से सुलझाया पारिवारिक विवाद, दंपति में कराया समझौता, परिवार को टूटने से बचाया

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र श्री **अभिषेक सिंह** के निर्देशन में मिशन शक्ति फेज-5.0 द्वितीय चरण के अंतर्गत **बहू-बेटी सम्मेलन** के सफल क्रियान्वयन हेतु सहारनपुर पुलिस द्वारा महिलाओं से संबंधित समस्याओं एवं पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में थाना बड़गांव क्षेत्र के ग्राम दल्हेडी निवासी **श्रीमती डोली एवं उनके पति शक्ति** के मध्य घरेलू बातों को लेकर मनमुटाव एवं पारिवारिक विवाद उत्पन्न हो गया था। इस संबंध में दिनांक **01.09.2026** को श्रीमती डोली द्वारा थाना बड़गांव पर प्रार्थना पत्र दिया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष बड़गांव श्री **नरेन्द्र भडाना** के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक **06.09.2026** को दोनों पति-पत्नी की काउंसलिंग कराई गई। काउंसलिंग के दौरान दोनों पक्षों को **आपसी संवाद, समझदारी एवं पारिवारिक सौहार्द** बनाए रखने हेतु समझाया गया। पुलिस की सकारात्मक पहल एवं समझाइश के फलस्वरूप दोनों के मध्य उत्पन्न मनमुटाव दूर हो गया तथा दोनों ने **आपसी सहमति से विवाद समाप्त कर शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन व्यतीत करने पर सहमति व्यक्त की।**

दोनों पति-पत्नी द्वारा थाना बड़गांव पुलिस की सकारात्मक पहल एवं काउंसलिंग के लिए **आभार व्यक्त किया गया।**

समझौता कराने वाली टीम का विवरण:-

- 1- श्री नरेन्द्र भडाना थानाध्यक्ष थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर ।
- 2- उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर ।
- 3- म0हे0कां0 743 अन्जु सोम थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर
- 4- म0कां0 517 प्रीती थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर ।



दिनांक- 06.09.2026

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस की अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही
थाना चिलकाना पुलिस द्वारा बिना रॉयल्टी/ ओवरलोड अवैध खनन परिवहन करने वाले
02 वाहनो/डम्फरो को किया गया सीज

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध खनन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अक्षय शर्मा के नेतृत्व में राजस्व टीम के साथ थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध खनन सामग्री के परिवहन की रोकथाम हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

आज दिनांक 06.09.2026 को चेकिंग के दौरान दुमझेडा मार्ग से 02 वाहनों को बिना रायल्टी व ओवरलोड खनन सामग्री का अवैध रूप से परिवहन करते पाये जाने के कारण मय अवैध खनन सामग्री के सीज कर थाना परिसर में खड़ा कराया गया।

वाहन का विवरण

01 डम्पर/घोडा रजि० नं०- HR58-E-6771

01 डम्पर/घोडा रजि० नं०- HR58-E-3678

सीज करने वाली पुलिस टीम—

1. थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री रवि कुमार थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर
3. है०का० 843 विवेक कुमार थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक- 06.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना साइबर क्राइम द्वारा साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगी गई धनराशि से 3,86,499/- रुपये की
धनराशि पीडित के खाते में कराई गई वापस

घटना का विवरण:- दिनांक 09.12.2025 को आवेदक मौहम्मद आजम पुत्र हाफिज बुरहान निवासी मौहल्ला गाडान कस्बा बेहट जनपद सहारनपुर द्वारा थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर उपस्थित आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिसके अनुसार वादी द्वारा अज्ञात व्यक्ति के बताये फर्जी ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से धनलाभ कमाने के लालच में कुल 18,17,827/- रुपये जालसाजों के खातों में डाल देने के सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम पर मु०अ०सं० 61/2025 अन्तर्गत धारा 318(4) 319(2) बीएनएस 66D आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्रॉड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक मु० आजम उपरोक्त की साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगी गयी धनराशि में से 3,86,499/- रुपये की धनराशि पीडित के खाते में वापस करायी गयी। पीडित द्वारा धनराशि खाते में वापस पाकर सहारनपुर पुलिस व थाना साइबर क्राइम पुलिस का आभार प्रकट किया गया।

धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जावेद खान थाना साइबर क्राइम जनपद सहारनपुर
2. विवेचक निरीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार प्रभारी साइबर सेल जनपद सहारनपुर
3. है०कां० 437 मनोज कुमार थाना साइबर क्राइम जनपद सहारनपुर
4. है०कां० 1141 रोहित कुमार थाना साइबर क्राइम जनपद सहारनपुर
5. कां० 99 अरुण कुमार थाना साइबर क्राइम जनपद सहारनपुर

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजों से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।



दिनांक:06.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण:- दिनांक 18.08.2026 को थाना क्षेत्रान्तर्गत जंगल ग्राम हसनपुर लोटनी में बदमाशों के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई थी जिसमें एक अभियुक्त 1. इंतजार उर्फ काका उर्फ इंसार पुत्र फुरकान निवासी ग्राम सोनचिड़ा थाना नागल जनपद सहारनपुर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था परन्तु अभियुक्त गयूर पुत्र सज्जाद उर्फ सादा निवासी ग्राम सोहनचिड़ा थाना नागल जनपद सहारनपुर जंगल एव मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया था जिस सम्बन्ध में थाना बडगाँव पर वादी मुकदमा उ०नि० श्री संदीप कुमार की फर्द बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 212/2026 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम 1. इंतजार उर्फ काका उर्फ इंसार पुत्र फुरकान निवासी ग्राम सोनचिड़ा थाना नागल जनपद सहारनपुर 2- गयूर पुत्र सज्जाद उर्फ सादा निवासी ग्राम सोहनचिड़ा थाना नागल जनपद सहारनपुर पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी बडगाँव श्री नरेन्द्र भडाना के कुशल नेतृत्व में दिनांक 05.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बडगाँव पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान **01 वांछित अभियुक्त गयूर पुत्र सज्जाद उर्फ सादा निवासी ग्राम सोहनचिड़ा थाना नागल जनपद सहारनपुर** को शगुन पैलेस के पास बडगाँव से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है जिसके विरुद्ध थाना बडगाँव पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमें दर्ज हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

गयूर पुत्र सज्जाद उर्फ सादा निवासी ग्राम सोहनचिड़ा थाना नागल जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 148/21 धारा 307/323/379/411 भादवि थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
2. मु०अ०सं० 230/18 धारा 380/411 भादवि थाना नागल जनपद सहारनपुर।
3. मु०अ०सं० 235/23 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना नागल जनपद सहारनपुर।
4. मु०अ०सं० 284/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नागल जनपद सहारनपुर।
5. मु०अ०सं० 43/26 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
6. मु०अ०सं० 79/26 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
7. मु०अ०सं० 212/26 धारा मु०अ०सं० 212/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बडगाँव

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम पता

- 1- थानाध्यक्ष श्री नरेन्द्र भडाना थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
- 2- उ०नि० श्री संदीप कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
- 3- कां० 151 मौ० बिलाल थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
- 4- कां० 427 संदीप कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
- 5- हो०गा० 2077 सतीश कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।



दिनांक 06.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना तीतरों पुलिस द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण:- दिनांक को 01.09.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.अमित पुत्र सतीश, 2.आजाद पुत्र राजेश निवासीगण ग्राम बेरखेडी मुस्लमान थाना तीतरों जनपद सहारनपुर द्वारा मुकदमा वादियाय व उसकी भाभी को गलत तरीके से पकड़ने, छेड़खानी करने विरोध करने पर गाली गलौच करते हुए मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना तीतरों पर मु0अ0सं0 120/2026 धारा 333,74,115 (2),352,351 (2) बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में महिला सम्बंधी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी तीतरों श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना तीतरों पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान मुकदमा उपरोक्त में **01 वांछित अभियुक्त अमित पुत्र सतीश निवासी ग्राम बेरखेडी मुस्लमान थाना तीतरों जनपद सहारनपुर** को सालियर चौराहा कस्बा तीतरों से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अमित पुत्र सतीश निवासी ग्राम बेरखेडी मुस्लमान थाना तीतरों जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री मुकेश कुमार थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
2. का0 1090 अमित कुमार थाना तीतरों जनपद सहारनपुर



दिनांक 06.09.2026

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त

गिरफ्तार, कब्जे से 115 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में **“ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”** अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के अनुपालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम नगर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त जाफर पुत्र सगीर अहमद निवासी अमन पैलेस वाली गली नया बांस चौक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को मण्डी समिति परिसर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल **115 ग्राम अवैध चरस** बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर **मु0अ0सं0 459/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया। अभियुक्त जाफर उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में **FORWARD AND BACKWARD** लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जाफर पुत्र सगीर अहमद निवासी अमन पैलेस वाली गली नया बांस चौक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

❖ 115 ग्राम अवैध चरस

अभियुक्त जाफर उपरोक्त का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 91/2024 धारा 379, 411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 130/2024 धारा 379, 411, 420, 465 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 132/2024 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 459/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जगपाल सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1269 धीरज मावी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का0 2256 प्रेम कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।